न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार RAS

धार्मिक एन्यूटी प्रा0 पत्र सं0 01/2019

मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके ग्राम जमवारामगढ़ तहसील—जमवारामगढ, जिला—जयपुर जरिये पुजारीगण

1. राजेश कुमार वशिष्ठ पुत्र स्व0 श्री नारायण शर्मा, जाति—ब्राम्हण, निवासी—मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके जमवारामगढ, तहसील—जमवारामगढ, जिला—जयपुर हालवासी—म0नं0 46, प्रताप नगर, पुराना रामगढ मोड, आमेर रोड, जयपुर।
2. सुर्यप्रकाश वशिष्ठ पुत्र स्व0 श्री नारायण शर्मा, जाति—ब्राम्हण, निवासी—मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके जमवारामगढ, तहसील—जमवारामगढ, जिला—जयपुर हालवासी—म0नं0 46, प्रताप नगर, पुराना रामगढ मोड, आमेर रोड, जयपुर।
3. मनीष कुमार वशिष्ठ पुत्र स्व0 श्री रामकिशन शर्मा पौत्र स्व0 श्री नारायण शर्मा, जाति—ब्राम्हण, निवासी—मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके जमवारामगढ, तहसील—जमवारामगढ, जिला—जयपुर हालवासी—म0नं0 46, प्रताप नगर, पुराना रामगढ मोड, आमेर रोड, जयपुर।

प्रार्थीगण,

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला—जयपुर।

अप्रार्थी,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 सपठित राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण नियम, 1954 बाबत् मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके ग्राम जमवारामगढ़ के पुजारी स्व0 श्री श्रीनारायण पुत्र श्री राम सहाय शर्मा की मृत्यु के पश्चात् एन्यूटी प्राप्त करने हेतु अधिकृत करने बाबत्)

उपस्थितिः—

1. श्री राकेश स्वामी, अभिभाषक, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय **दिनांक : 25.02.2020**

प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके ग्राम जमवारामगढ, तहसील—जमवारामगढ की पूजा पूर्व में बतौर पुजारी श्रीनारायण पुत्र श्री राम सहाय शर्मा कर रहे थे। दिनांक 26.09.2018 को उनके स्वर्गवास के पश्चात् मंदिर की सेवा पूजा बहैसियत प्रार्थीगण ओसरेवार सेवा पूजा कर रहे है। मंदिर श्री जमवा माता के तत्कालीन पुजारी श्रीनारायण पुत्र श्री राम सहाय शर्मा बहैसियत पुजारी रिकार्ड में दर्ज है एवं उनके पक्ष में एन्यूटी राशि प्राप्त करने हेतु प्रपत्र 12 (क) दिनांक 27.09.1977 को व प्रपत्र 12 (ख) दिनांक 14.05.1979 को जारी है। मंदिर जमवा माता की सम्पूर्ण भोग राशि में श्री श्रीनारायण का हिस्सा

Scanned with CamScanner

1/12 अर्थात् 93 रूपये 99 पैसे अपने जीवनकाल में प्राप्त करते थे। उनके स्वर्गवास के पश्चात् मंदिर की सेवा पूजा ओसरे अनुसार प्रार्थीगण कर रहे है। मंदिर की एन्यूटी राशि प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त नही की गई है। जबकि मंदिर की सेवा पूजा वे ओसरे अनुसार कर रहे है। अतः मंदिर की एन्यूटी राशि (वार्षिक वृत्ति) बहेसियत उत्तराधिकारी/पुजारी होने के कारण वे प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः मंदिर की एन्यूटी राशि (वार्षिक वृत्ति) बहेसियत उत्तराधिकारी/पुजारी प्रार्थीगण के पक्ष में जारी करने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जाकर प्रकरण में तहसीलदार, जमवारामगढ़ से मंदिर की सेवा पूजा एवं भोगराग की राशि एन्यूटी पाने का जायज अधिकारी की सूचना प्राप्त की गई तथा प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा से प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली मय टिप्पणी के चाही गई एवं नोटिस अन्तर्गत नियम 39(3) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण नियम, 1954 जारी किया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके ग्राम जमवारामगढ, तहसील–जमवारामगढ की पूजा पूर्व में बतौर पुजारी श्रीनारायण पुत्र श्री राम सहाय शर्मा कर रहे थे। जिनका स्वर्गवास दिनांक 26.09.2018 को हो चुका है। श्रीनारायण के 2 पुत्र राजेश कुमार एवं सूर्यप्रकाश जीवित है तथा तीसरे पुत्र रामकिशन की मृत्यु हो चूकी है तथा रामकिशन के वारिसान में सीता देवी पत्नी स्व0 रामकिशन एवं मनीष पुत्र रामकिशन मौजूद है। स्व0 श्रीनारायण के स्वर्गवास के पश्चात् मंदिर की सेवा पूजा बहेसियत प्रार्थीगण ओसरेवार सेवा पूजा कर रहे है। मंदिर श्री जमवा माता के तत्कालीन पुजारी श्रीनारायण पुत्र श्री राम सहाय शर्मा बहेसियत पुजारी रिकार्ड में दर्ज है एवं उनके पक्ष में एन्यूटी राशि प्राप्त करने हेतु प्रपत्र 12 (क) दिनांक 27.09.1977 को व प्रपत्र 12 (ख) दिनांक 14.05.1979 को जारी है। मंदिर जमवा माता की सम्पूर्ण भोग राशि में श्रीनारायण का हिस्सा 1/12 अर्थात् 93 रूपये 99 पैसे अपने जीवनकाल में प्राप्त करते थे। उनके स्वर्गवास के पश्चात् मृतक श्रीनारायण शर्मा के वारिस प्रार्थीगण मंदिर की सेवा पूजा ओसरे अनुसार कर रहे है। मंदिर की एन्यूटी राशि प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त नही की गई है। जबकि मंदिर की सेवा पूजा वे ओसरे अनुसार कर रहे है। प्रार्थीगण मृतक श्रीनारायण शर्मा के उत्तराधिकारी/वारिसान होने के कारण वे एन्यूटी प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः मंदिर की एन्यूटी राशि (वार्षिक वृत्ति) बहेसियत उत्तराधिकारी/ पुजारी प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश जारी करे।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई है :–

1. श्रीनारायण पुत्र श्री राम सहाय शर्मा की मृत्यु दिनांक 26.09.2018 का प्रमाण पत्र।
2. प्रपत्र 12 ए सं0 997 दिनांक 14.12.1977 की प्रति।
3. रूकमणी देवी पत्नी श्रीनारायण शर्मा की मृत्यु दिनांक 19.05.2018 का प्रमाण पत्र।
4. श्री रामकिशन पुत्र श्रीनारायण शर्मा की मृत्यु दिनांक 05.03.2008 का प्रमाण पत्र।
5. श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व0 श्री रामकिशन पुत्र स्व0 श्रीनारायण शर्मा द्वारा एन्यूटी राशि का हकत्याग के संबंध में शपथ पत्र/हकत्याग पत्र की प्रति।

प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा से प्रकरण से संबंध में मूल पत्रावली प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया था, जिसके संदर्भ में प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा द्वारा पत्रांक जागीर/2020/02 दिनांक 10.01.2020 द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण की मूल पत्रावली उनके कार्यालय/शाखा में उपलब्ध नही है। पत्र के संलग्न धार्मिक

Scanned with CamScanner

रजिस्टर की प्रति प्रेषित की गई। रजिस्टर की प्रति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि मंदिर जमवा माता जमवारामगढ के दावेदार श्रीनारायण है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार, जमवारामगढ़ से एन्यूटी प्रार्थना पत्र के संबंध में बिन्दुवार रिपोर्ट चाही गई जिसके संदर्भ में तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा उनके पत्रांक नाजिर/19/57 दिनांक 18.02.2019 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अंकित किया है कि तहसील जमवारामगढ स्थित जमवा माता मंदिर के पुजारी श्रीनारायण पुत्र रामसहाय, निवासी–गोपालगढ हालवासी प्लाट नं0 46, प्रताप नगर, पुराना रामगढ मोड, आमेर रोड, जयपुर का दिनांक 26.09.2018 को मृत्यु हो चुकी है। मुताबिक रिकार्ड मृतक पुजारी का एन्यूटी राशि में 1/12 हिस्सा बनता है। मृतक पुजारी को 30.06.2018 तक की एन्यूटी राशि का भुगतान किया जा चुका है। मृतक पुजारी के हिस्से के 1/12 हिस्से में स्व0 रामकिशन पुत्र श्रीनारायण के वारिसान सीता देवी पत्नी रामकिशन एवं मनीष पुत्र स्व0 रामकिशन तथा राजेश कुमार पुत्र स्व0 श्रीनारायण एवं सूर्यप्रकाश पुत्र स्व0 श्रीनारायण शर्मा द्वारा वर्तमान में सेवा पूजा का कार्य किया जा रहा है। जमवा माता मंदिर की सेवा पूजा मुताबिक सजरा श्रीनारायण शर्मा पुजारी के वारिसान द्वारा अपने ओसरे अनुसार/हिस्से अनुसार कर रहे है तथा प्रार्थीगण एन्यूटी राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।

पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस तहसीलदार, जमवारामगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित बिन्दुओं को सही ठहराते हुए कथन किया कि मृतक श्रीनारायण पुत्र श्री गणेशनारायण शर्मा का निधन दिनांक 26.09.2018 को हो चुका है। पुजारी श्री श्रीनारायण का प्रपत्र 12 क व ख में जारी एन्यूटी में हिस्सा 1/12 है। अतः मृतक श्रीनारायण के जायज वारिसान/उत्तराधिकारीगण को नियमानुसार उनके हिस्से अनुसार एन्यूटी राशि दिये जाना उचित है। मृतक पुजारी श्रीनारायण के पुत्र रामकिशन शर्मा की मृत्यु दिनांक 05.03.2008 को हो चुकी है तथा इनकी पत्नी सीता देवी द्वारा एन्यूटी राशि के लिये 100 रूपयें स्टाम्प पेपर पर अपना शपथ पत्र/हक त्याग पत्र अपने पुत्र मनीष कुमार वशिष्ठ पुत्र स्व0 श्री रामकिशन शर्मा पौत्र श्रीनारायण शर्मा के पक्ष में पेश कर दिया है। अतः प्रार्थीगण को एन्यूटी राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाना उचित है।

हमनें उभयपक्षों के कथन पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र एवं कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज की प्रतियों से यह जाहिर है कि पुजारी श्रीनारायण शर्मा पुत्र श्री रामसहाय शर्मा का निधन दिनांक 26.09.2018 को हो चुका है। श्रीनारायण के 2 पुत्र राजेश कुमार एवं सूर्यप्रकाश जीवित है तथा तीसरे पुत्र रामकिशन की मृत्यु हो चूकी है तथा रामकिशन के वारिसान में सीता देवी पत्नी स्व0 रामकिशन एवं मनीष पुत्र रामकिशन मौजूद है। श्रीमती सीता देवी द्वारा अपने पुत्र मनीष पुत्र स्व0 श्री रामकिशन शर्मा के पक्ष में हक त्याग प्रस्तुत कर दिया है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा नोटिस अन्तर्गत 39 (3) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण नियम, 1954 जारी किया गया था। नोटिस के संबंध में 30 दिवस पश्चात् भी कोई आपत्ति इस न्यायालय को प्राप्त नही हुई है।

अतः उक्त विवेचनानुसार मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके ग्राम जमवारामगगढ, तहसील–जमवारामगढ, जिला–जयपुर की भोगराग के लिए प्राप्त हो रही एन्यूटी राशि को प्राप्त करने के लिए प्रार्थी राजेश कुमार वशिष्ठ, सूर्य प्रकाश वशिष्ठ पुत्रान् स्व0 श्री नारायण शर्मा एवं मनीष कुमार वशिष्ठ पुत्र स्व0 श्री रामकिशन शर्मा पौत्र स्व0 श्री नारायण शर्मा को पूर्वानुसार संयुक्तरूप से एन्यूटी पाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

25.2.20

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned with CamScanner